न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 190/2016 **दायर दिनांकः 09/08/2016**

उनवान

1. अजीज उम्र 55 वर्ष पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. कल्लो उम्र 80 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी खेड़ली गद्दीयान हाल मुकाम स्टेशन के पास, रेल्वे की क्वाटर, सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)।
2. अलारखी उम्र 76 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि रहीमतुला जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. फातमा उम्र 73 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि सरताज जाति मुसलमान निवासी खेड़ली गद्दीयान हाल मुकाम स्टेशन के पास, रेल्वे की क्वाटर, सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)
4. मुमताज उम्र 70 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि ईदय्या (गरदाबल) जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान हाल मुकाम स्टेशन के पास, रेल्वे की क्वाटर, सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरूश्ती एवं घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

निर्णय

दिनाकः 02/02/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खेड़ली गद्दीयान तहसील अटरू में अब्दुल हकीम पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खेड़ली गद्दीयान तहसील अटरू के खाते की आराजी ख.नं. 144 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी जिसको जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा वादी ने दिनांक 25/01/84 को खरीद किया था तभी से वादी क्रय शुदा आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। आराजी के बाद सेटलमेन्ट पुराने ख. नं. 144 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर बनाया है। वाद पत्र के साथ में असल विक्रय विलेख दिनांक 25/01/84, नवीन जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल पेश है जो काबिल गौर है। दौराने सेटलमेन्ट नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय वादी द्वारा क्रय शुदा आराजी की नवीन जमाबन्दी में ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर में खातेदार के स्थान पर वादी का ही नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन सहवन से भूलवश नवीन जमाबन्दी में वादी के नाम के साथ बेचान कर्ता अब्दुल हकीम की चारों बहनों प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के नाम भी दर्ज हो गये जबकि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजी पर जीवन में कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा बेचान कर्ता अब्दुल हकीम का स्वर्गवास हुये 4–5 वर्ष हो गये है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी वादी द्वारा खातेदार से जयें रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की गई है जिस पर क्रेता वादी खरीद की तारीख से काबिज काश्त है लेकिन सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का नाम शामलाती खाते में दर्ज किये जाने से वह आराजी ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर को खुर्द बुर्द, रहन, बेचान कर सकती है, इस वजह से इन्द्राज दुरुस्त करते हुये प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के नाम खाते में से हटाये जाकर वादी को सम्पूर्ण ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर पर खातेदार कृषक घोषित किया जाये। वादी के क्रय शुदा आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी वादी को दिनांक 18/10/15 को हुई जब वादी ने तहसील कार्यालय अटरू से क्रय शुदा आराजी के नवीन ख.नं. 270 की नकल बनवाई. उसके बाद में वादी ने तहसील कार्यालय में कार्यवाही भी की लेकिन तहसीलदार साहब ने हिदायत दी कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर अटरू के यहां से इन्द्राज सही कराकर बहनों के नाम खाते में से हटाकर जमीन अपने नाम खाते दर्ज कराओ। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल खेड़ली

गद्दीयान तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि–

(अ) इन्द्राज दुरूश्त करते हुये ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर माल खेडली गद्दीयान तहसील अटरू की आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से हटाये जाकर सम्पूर्ण ख. नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की तलबी जर्ये सम्मन की गई। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की तलबी अदम तामील में प्राप्त हुई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की पुनः जरिये रजि0 एडी नये पते के साथ तामील कराई गई जो अपूर्ण पते की टिप्पणी के साथ अदम तामील में प्राप्त हुई। अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की तलबी जरिये अखबारसाया के माध्यम से की गई परन्तु बावजूद सूचना निर्धारित तारीख पेशी पर कोई उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 अजीज पुत्र वसीर खां निवासी खेडली गद्दीयान अटरू तहसील अटरू जिला बारां के शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किये कि ग्राम खेडलीगद्दीयान तहसील अटरू में अब्दुल हकीम पुत्र अलील मोहम्मद निवासी खेडली गद्दीयान के खाते की ख0नं0 144 की 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन थी जिसको मैने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा करीब 35–40 साल पहले मोल ली थी। जमीन की मैने रजिस्टरी करवा ली थी। जमीन क्रय की तब से ही मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन के सेटलमेन्ट के बाद मेरी जमीन का रकबा 0.35 है0 बनाया है। जमीन खरीदने के बाद में खातेदार के स्थान पर सहवन से

मेरे नाम के स्थान पर अब्दुल हकीम व उसकी चारों बहिनों का नाम दर्ज हो गया। अब्दुल हकीम का स्वर्गवास हुए 15–20 साल हो गये है। अब मैने दावा इसलिए किया है कि मैं इस जमीन का मालिक हू। रजिस्टर्ड बेनाम के आधार पर इन्द्राज दुरूस्त करते हुए यह जमीन मेरे नाम खाते दर्ज की जावे।

4. अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादी एक मुस्लिम है और वादी द्वारा ग्राम खेड़ली गद्दीयान तहसील अटरू की आराजी साबिक ख0नं0 144 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 25/01/84 से मुस्लिम खातेदार अब्दुल हकीम पुत्र अली मोहम्मद से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से वादी क्रय शुदा आराजी को लगातार व शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे कथन किया गया कि वादी द्वारा ततसमय तहसीलदार अटरू को वादी के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने हेतु कई बार आवेदन किये गये लेकिन वादी के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने में दैरी करते रहे। और इसी दौरान तहसील अटरू में भू प्रबंध विभाग द्वारा भूमि के सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन का कार्य चल रहा था। अतः भू प्रबंध विभाग को इंतकाल के लिए वादी द्वारा विक्रय पत्र के साथ आवेदन दिया गया था तो भू प्रबंध विभाग ने त्रुटिवश वादी के नाम के साथ विक्रेता की बहनों के नाम भी दर्ज कर दिये जो कि विधि विरूद्ध है। सेटलमेन्ट के बाद उक्त आराजी साबिक ख. नं. 144 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर बनाया है। दौराने सेटलमेन्ट नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय वादी द्वारा क्रय शुदा आराजी की नवीन जमाबन्दी में ख.नं. 270 का रकबा 0.35 हेक्टर में विक्रेता खातेदार के स्थान पर वादी का ही नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों ने नवीन जमाबन्दी में क्रेता वादी के नाम के साथ बेचान कर्ता अब्दुल हकीम की चारों बहनों प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के नाम भी दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी क्रेयशुदा विवादित आराजी पर क्रय की तारीख से लगातार शांतीपूर्ण कब्जे काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 विगत 50–60 वर्षों से अन्य जिला सवाई माधोपुर में निवास करती है और बेचान के बाद से कभी भी उक्त आराजी को आकर नहीं देखा है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के धारा 63(1)(iv) आर0टी0एक्ट0 के अधीन खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है और वादी में निहित हो चुके है। क्रेता वादी, विक्रेता तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 सभी मुस्लिम शरियत कानून से गवर्न होते है। अभिभाषक वादी द्वारा पुनः

कथन किया गया कि वादी ने रजि0 विक्रय पत्र से विवादित आराजी का स्वामित्व व कब्जा प्राप्त किया है, केवल राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम दर्ज होने मात्र से उन्हे विवादित आराजी में स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। जमाबंदी केवल एक फिसकल स्टेटमेन्ट है जो काश्तकारो से लगान/भू राजस्व वसूल करने के उद्धेश्य से तैयार की जाती है। अभिभाषक वादी ने इस संदर्भ में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Jitendra singh Vs The State of Madhya Pradesh 2021 SC मामले** में दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में नाम मात्र से किसी व्यक्ति का स्वामित्व निर्धारित नहीं होता है। स्वामित्व निर्धारण में मौके पर कब्जा होना महत्वपूर्ण है। अतः भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर क्रेता वादी को रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर क्रयशुदा सम्पूर्ण आराजी हाल ख.नं. 270 का रकबा 0.35 है0 खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खेडली गद्दीयान की जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श पी 3 के अनुसार विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 अंकित है। वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25/01/84 (प्रदर्श 5) के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खेडलीगद्दीयान की आराजी साबिक ख0नं0 144 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा को खातेदार अब्दुल हकीम पुत्र अलीमोहम्मद निवासी खेडलीगद्दियान तहसील अटरू से जरिये रजि0 विक्रय पत्र 4000/– रूपये की प्रतिफल राशि अदा कर वादी अजीज वल्द बशीर कौम मुसलमान निवासी खेडलीगद्दीयान तहसील अटरू द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम खेडलीगद्दीयान की क्रय आराजी साबिक ख0नं0 144 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का नया ख0नं0 270 रकबा 0.35 है0 बनाया गया है तथा वादी सहित अन्य की सहखातेदारी में दर्ज किया गया है। साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 1 के सशपथ बयानों के आधार पर विवादित आराजी पर विगत 35–40 वर्षों से यानी की क्रय के समय से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी पर वादी के कब्जे काश्त के सबंध में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खेडली गद्दीयान की विवादित आराजी हाल ख0नं0 270 रकबा 0.35 है0 भूमि पर वादी विगत 12–15 वर्षो

से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट से भी विवादित आराजी पर विगत वर्षों से कब्जा काश्त साबित होता है।

6. वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत Jitendra singh Vs The State of Madhya Pradesh 2021 SC का अध्ययन एवं मनन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में अभिनिर्धारित किया है कि " ***Right from 1997] the law is very clear. In the case of Balwant Singh v. Daulat Singh (D) By Lrz. Reported in (1997) 7 SCC 137, this Court had an occasion to consider the effect of mutation and it is observed and held that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title ot the property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relenvant only for the purpose of collection land reveue. Similar view has been expressed in the series of decisions therafter. 6.1 In the case of Suraj Bhan v. Financial Commissioner, &2007) 6 SCC 186, it is observed and held by this Court that an entry in revenue recouds does not confer title on a person whose name appears in record of rights. Entries in the renenue records or jamabandi have only "fiscal purpose" i.e. payment of land revenue, and no ownership is conferred on the basisof such entries. It is further observed that so far as the title of the property is concerned, it can only be decided by a competent cicil court. Similar view has been expressed in the cases of Suman Verma V. Union of India, (2004) 12 SCC 58; Faqruddin V. Tajuddin (2008) 8 SCC 12; Rajinder Singh V. State of J&k, (2008)9 SSC 368; Municipal Corporation, Aurangabad v.State of Maharashtra, (2015) 16 SCC 689; T. Ravi v. B. Chinna Narasimha, (2017)7 SCC 342' Bhimabai Mahadeo Kambkar v. Arthur import & Export***

***Co, (2019)3 SCC 191; Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar, (2019) 10 SCC 259 and Ajit Kaur v. Darshan Singh, (2019)13 SCC 70.*" (para 6)**

7. धारा 63(1)(iv) आर0टी0एक्ट0 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि यदि कोई कब्जाधारी व्यक्ति, किसी खातेदार को उसकी भूमि पर कब्जे से वंचित करता है और उस खातेदार की अपनी भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई हो उस भूमि से खातेदार के अधिकार/स्वामित्व समाप्त हो जायेगा। किसी खातेदार काश्तकार द्वारा पुनः कब्जा प्राप्त करने की समय सीमा The limitation 1963 की धारा 27 एवं अर्टीकल 61 से 67 के अधीन 12 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः उक्त प्रकरण धारा 63(1)(iv) RT Act के अधीन राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश अंकित सहखातेदारान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खातेदारी अधिकारों/ हितों/स्वामित्व का निर्वापन (extination) हो चुका है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी/रजि0 विक्रय पत्र व मौखिक साक्ष्य के आधार पर ग्राम खेडलीगद्दीयान की विवादित आराजी के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी/**रजि0 विक्रय पत्र** व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम खेडलीगद्दीयान की विवादित आराजी ख0नं0 270 रकबा 0.35 है0 मे से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के नाम हटाकर **सम्पूर्ण आराजी** पर सहखातेदार — वादी अजीज पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 190/2016 **दायर दिनांकः 09/08/2016**

उनवान

1. अजीज उम्र 55 वर्ष पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. कल्लो उम्र 80 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि अल्लानूर जाति मुसलमान निवासी खेड़ली गद्दीयान हाल मुकाम स्टेशन के पास, रेल्वे की क्वाटर, सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)।
2. अलारखी उम्र 76 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि रहीमतुला जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. फातमा उम्र 73 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि सरताज जाति मुसलमान निवासी खेड़ली गद्दीयान हाल मुकाम स्टेशन के पास, रेल्वे की क्वाटर, सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)
4. मुमताज उम्र 70 वर्ष पुत्री अली मोहम्मद पत्नि ईदय्या (गरदाबल) जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान हाल मुकाम स्टेशन के पास, रेल्वे की क्वाटर, सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरूश्ती एवं घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडलीगद्दीयान की विवादित आराजी ख0नं0 270 रकबा 0.35 है0 मे से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के नाम हटाकर **सम्पूर्ण आराजी** पर सहखातेदार — वादी अजीज पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 02.02.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)